(Order sheet Cont...)

M.J.C.(Cri.) No.41/2026

30.07.2026 अभियोजन द्वारा श्री अशोक गुप्ता, लोक अभियोजक।

अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण जानकारी प्राप्ति हेतु नियत है।

जिला न्यायालय रामानुजगंज अंतर्गत कार्यरत न्यायालयों में से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को छोड़कर शेष न्यायालयों से आहूत जानकारी प्राप्त।

प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जानकारी प्राप्ति हेतु –31.07.2026

(हेमंत सराफ)
सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

31.07.2026 अभियोजन द्वारा श्री अशोक गुप्ता, लोक अभियोजक।

अनावेदक विनोद पासवान, उपनिरीक्षक उपस्थित।

प्रकरण जानकारी प्राप्ति हेतु नियत है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जानकारी प्राप्त।

न्यायालयों से प्राप्त समस्त जानकारियों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज के न्यायालय में एक सत्र प्रकरण जो कि वर्ष 2023 से लंबित है एवं 25.05.2026 से अनावेदक की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर प्रकरण नियत है तथा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज के न्यायालय में तीन सत्र प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट एवं एक सत्र प्रकरण में जमानतीय वारंट जारी कर साक्षी के कथन हेतु प्रकरण नियत है। उक्त् सत्र प्रकरणों में से तीन

प्रकरण वर्ष 2022 से एवं एक सत्र प्रकरण 2023 से लंबित है।

अनावेदक के विरूद्ध धारा 389 भा.ना.सु.सं. के तहत् एम.जे.सी. प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु गिरफ्तारी वारंट पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के माध्यम से तामिली हेतु प्रेषित किया गया।

अनावेदक विनोद पासवान, उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 28.07.2026 को उपस्थित होकर नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसका सार इस प्रकार है कि थाना सोनहत जिला कोरिया छ.ग. के अपराध क्रमांक 66/2026 की विवेचना कार्यवाही में उपस्थित होने एवं सी.बी.आई. को केस डायरी हैण्डओवर किये जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कर्तव्यस्थल पर उपस्थित रहा एवं त्रुटि हेतु क्षमा याचना की गई।

विचार किया गया।

अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट हुआ कि इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण 88/2022 छ.ग. राज्य विरूद्ध सेवानंद गहरवरिया में दिनांक 16.07.2025 को अनावेदक विनोद पासवान, उपनिरीक्षक पर समंस की तामिली की गयी, किंतु अनावेदक/साक्षी के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध 500/– रू. का जमानतीय वारंट जारी कर आहूत किया गया एवं जमानतीय वारंट अनावेदक पर विधिवत ढंग से तामिल की गई। बावजूद इसके उक्त् साक्षी दिनांक 11.02.2026 को कथन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना दी गई। इस प्रकार अनावेदक/उक्त् साक्षी विधिमान्य रूप से आबद्ध होते हुए

नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण प्रकरण की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त् न्यायालयों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार उसके कथन हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अन्य न्यायालयों द्वारा भी सत्र प्रकरण में जमानतीय वारंट/गिरफ्तारी वांरट जारी किये गये हैं। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में जिस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में व्यस्त होना बताया गया है वह प्रकरण वर्ष 2026 का है जबकि अनावेदक पर दिनांक 16.07.2025 को समंस एवं दिनांक 11.02.2026 को 500/— रू. का जमानतीय वारंट की विधिवत तामिली की गयी थी एवं उक्त नियत दिनांक को स्वयं की अनुपस्थिति के संबंध में अनावेदक द्वारा अपने जवाब कोई ऐसा कारण उल्लेखित नहीं किया गया है, जो समाधानप्रद हो। उक्त नियत दिनांक पर न्यायालय की आदेशिका के सम्यक निर्वहन के पश्चात् भी साक्षी बिना कोई सूचना एवं कारण के अनुपस्थित रहा, जिससे यह उपधारणा का आधार उत्पन्न होता है कि उक्त् साक्षी के द्वारा न्यायालय के आदेशिकाओं की जानबूझकर अवहेलना की गई है। उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के आदेश की अवज्ञा एवं उपेक्षा किये जाने के परिणामस्वरूप अनावेदक विनोद पासवान उपनिरीक्षक पुलिस को **धारा 389 भा.ना.सु.सं.** के तहत दंडित किया जाना उचित पाया जाता है तथा अनावेदक को **₹500/— (पांच सौ रूपये मात्र)** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अनावेदक को आदे श की जानकारी दी जावे।

पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया को आदेश की प्रति सहित ज्ञापन भेजकर लिखा जावे कि अनावेदक विनोद पासवान वर्तमान

M.J.C.(Cri.) No.41/2026

निरीक्षक को देय वेतन की राशि में से न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि ₹ 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) कटौती कर इस न्यायालय में शीघ्रता से जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर नियामानुसार उचित मद में राशि निक्षेपित करें।

प्रकरण उक्त् आदेश के परिपालन हेतु दिनांक- 17.08.2026

(हेमंत सराफ)
सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)